

16/09/2026

4012

ई पत्रावली संख्या-430892/45 (सामान्य)2022/ 98622

प्रेषक,

महावीर सिंह चौहान,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

✓ प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 10 सितम्बर, 2026

विषय: जनपद पिथौरागढ़ के विधायक क्षेत्र गंगोलीहाट अन्तर्गत चण्डाक बांस आवंलाघाट गंगोलीहाट मोटर मार्ग व (रामगंगा नदी में 60 मी स्पान 1.50 मी0 लेन स्टील गर्डर मोटर सेतु सहित निर्माण का पुनरीक्षित आगणन (भौतिक आगणन) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि विषयगत निर्माण कार्य की मूल स्वीकृति शासनादेश संख्या 572/(III-2/05-08 (प्रोआ0)/06 लोक निर्माण अनुभाग -2 देहरादून दिनांक 28.03.2006 द्वारा 14.00 कि0मी0 लम्बाई एवं 80 मी0 स्पान सेतु के निर्माण हेतु रु0 417.38 लाख की प्रदान की गयी है। पुनः विषयक कार्य की पुनरीक्षित स्वीकृति ई-पत्रावली संख्या 44765 दिनांक 02.09.2023 द्वारा 12.45 कि0मी0 मोटर मार्ग एवं 36.0 मी0 स्पान सेतु हेतु लागत रु0 999.05 लाख (मूल स्वीकृति रु0 417.38 लाख एवं अतिरिक्त लागत रु. 581.67 लाख) की प्रशासनिक एवं पुनरीक्षित वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी।

2. उक्तानुसार प्रदत्त स्वीकृति के सापेक्ष पुनरीक्षित आगणन में स्वीकृत हेतु चयनित स्थल पर भारी स्लाइड आने के कारण सेतु निर्माण हेतु उपयुक्त न होने तथा चयनित स्थल के 100 मी0 w/s में 60.00 मी0 स्पान के सेतु हेतु नया चयनित स्थल का वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा द्वारा उक्त मोटर मार्ग के उपलब्ध कराये गये पुनरीक्षित आगणन का परीक्षण शासन स्तर पर किये जाने के उपरान्त औचित्यपूर्ण सम्पूर्ण लागत रु0 1529.56 लाख (पूर्व स्वीकृत लागत रु0 999.05 लाख + अतिरिक्त लागत रु0 530.51 लाख) की प्रशासकीय एवं वित्तीय पुनरीक्षित स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं :-

- I. उक्त पुनरीक्षित स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कार्य की सम्पूर्ण लागत रु0 1529.56 लाख (पूर्व स्वीकृत लागत रु0 999.05 लाख + अतिरिक्त लागत रु0 530.51 लाख) से पूर्ण करा लिया जायेगा। इसके अतिरिक्त अब उक्त कार्य हेतु अतिरिक्त धनराशि किसी भी दशा में स्वीकृत नहीं की जायेगी।
- II. विषयगत कार्य की स्वीकृति के सम्बन्ध में शासन एवं विभागीय स्तर पर समय-समय पर आहूत बैठक में लिये गये निर्णयों का भी कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- III. पुनरीक्षित विस्तृत आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति हेतु नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- IV. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति

- प्राप्त की जानी आवश्यक होगी ।
- V. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें ।
 - VI. ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में debitable आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2025 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।
 - VII. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।
 - VIII. स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जायेगी।
 - IX. पुनरीक्षित विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन/मात्राओं एवं कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।
 - X. कार्य के आगणन में सम्मिलित की जा रही GST देयता में प्राविधानित मदों की धनराशि पर वास्तविक एवं नियमानुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय उक्त मद में व्यय की जाने वाली धनराशि पर भिन्नता हेतु प्रशासनिक विभाग/कार्यदायी संस्था स्वयं जिम्मेदार रहेगे।
 - XI. कार्य पद मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से कतिपय अधिक व्यय न किया जाय।
 - XII. प्रस्तावित कार्य योजना पर कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली संशोधित 2025 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
 - XIII. प्राविधिक स्वीकृति हेतु शा0स0 149101/XXVII(7)/E-20109/2022 दिनांक 25 अगस्त 2023 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
 - XIV. निविदा स्वीकृत किये जाने पर योजना की लागत में होने वाली बचत (निविदा की लागत, स्वीकृत लागत से कम होने की दशा में) की धनराशि शासन को वापस की जाय। अपरिहार्य परिस्थितियों में ही अतिरिक्त कार्य किये जाने हेतु समक्ष अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करते हुए शासन को अवगत कराया जाय।
 - XV. पहुच मार्ग के निर्माण के समय ड्रेन का उचित Gradient देते हुए Proper Outfall सुनिश्चित कर लिया जाय।
 - XVI. योजना क्रियान्वयन में Cost Effectiveness के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
 - XVII. योजना के क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक नियम एवं विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
 - XVIII. तृतीय पक्ष गुणवत्ता एजेन्सी से तृतीय पक्ष गुणवत्ता परीक्षण अवश्य कराया जाय।
 - XIX. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राविधिक स्वीकृति के संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-14901/xxvii(7)/E- 20109/2022 दिनांक 25 अगस्त 2023 में प्राविधानित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाये। यह भी देख लिया जाये कि उक्त कार्य इससे पूर्व अन्य विभागीय बजट से न कराये गये हों, यदि कराये गये हैं तो आहरण नहीं किया जायेगा, अर्थात् दोहराव की स्थिति

- नहीं हो।
- XX. कार्य की प्रगति की निरन्तर एवं गहन समीक्षा करते हुए कार्य को निर्धारित समय सारणी के अनुसार समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा तथा विलम्ब या अन्य किसी भी स्थिति में पुनरीक्षित आगणन पर विचार नहीं किया जायेगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व क्रस्ट का डिजाइन अधीक्षण अभियन्ता द्वारा अनुमोदित करा लिया जाये।
- XXI. कार्य स्थल की कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व, समय समय पर कार्य के दौरान तथा कार्य समाप्ति के उपरान्त जी0पी0एस0 फोटोग्राफ तथा वीडियो कार्यदायी संस्थान द्वारा संरक्षित रखी जाय।
2. उक्त योजना पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2026-27 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0 22 लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-337 सड़क निर्माण कार्य-03 राज्य सेक्टर-01 चालू निर्माण कार्य-53 वृहद निर्माण कार्य की मद से निर्वर्तन पर रखी गई धनराशि से, आवश्यकतानुसार, अपने स्तर से किया जायेगा।
3. ये आदेश वित्त अनुभाग-2 के कम्प्यूटरजनित क्रमांक- 1/430694/2026 दिनांक 10.09.2026 में प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

Digitally signed by
Mahaveer Singh Chauhan
Date: 10-09-2026
17:45:42

भवदीय,

(महावीर सिंह चौहान)
अपर सचिव



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग,
"नियोजन-1" उत्तराखण्ड देहरादून



(OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, PWD, DEHRADUN UTTARAKHAND)

Web-http://govt.ua.nic.in/pwd

E-mail: plhodpwduk@gmail.com

पत्रांक-1165 / 20 याता0 (वित्तीय स्वीकृति) नियो0-1 / 2026,

दिनांक-22 सितम्बर, 2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, अमरकोट।
2. अधीक्षण अभियन्ता, 03 वृत्त, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़।
3. अधिशासी अभियन्ता, 70 खण्ड, लोक निर्माण विभाग, वैरवा।
4. आई0टी0 सैल, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
5. सहायक लेखाधिकारी, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
6. अपर सहायक अभियन्ता, प्राविधिक वर्ग विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी,
कार्या0 प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, देहरादून